प्रेस नोट–211 / 2026
दिनांक 17.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की आजमगढ़ इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 17.04.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की आजमगढ़ इकाई** द्वारा श्री अवनीश कुमार राय निवासी ग्राम गागेपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ से मुकदमें से नाम निकलवाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री संतोष कुमार दीक्षित के नेतृत्व में थाना सरायमीर के दक्षिणी गेट के सामने सड़क के किनारे से **उ0नि0 अभिषेक सिंह (थाना सरायमीर आजमगढ़)** पुत्र दामोदर सिंह निवासी ग्राम पपरौल थाना धानापुर जनपद चन्दौली को **20 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट–212/2026
दिनांक 17.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद जालौन/थाना कोतवाली उरई

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 60 हजार रूपये नगद**
- **01 रिवाल्वर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 16.04.2026 को थाना कोतवाली उरई व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मेडिकल कॉलेज परिसर के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–भारत 2–अनिल 3–दिनेश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 60 हजार रूपये नगद, 01 रिवाल्वर मय जीवित/खोखा कारतूस, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली उरई क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली उरई पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली उरई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–भारत निवासी ग्राम चाम्झर थाना टांडा जनपद धार मध्यप्रदेश।

2–अनिल निवासी ग्राम कदवाल बड़ी थाना बोरी जनपद आलीराजपुर मध्यप्रदेश।

3–दिनेश निवासी ग्राम काकडवा थाना टांडा जनपद धार मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1–चोरी के 60 हजार रूपये नगद।

2–01 रिवाल्वर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद हरदोई/थाना अरवल

- **पुलिस कार्यवाही में 08 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **49 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के विद्युत ट्रांसफार्मर का 50 लीटर तेल, 03 बंडल कॉपर**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 17.04.2026 को थाना अरवल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम पिलिया गटवासा के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–सत्येन्द्र 2–गजेन्द्र घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 3–प्रवेश 4–सुरेन्द्र 5–अनूप 6–मुनेन्द्र 7–रोहित 8–अजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 49 हजार रूपये नगद, चोरी के विद्युत ट्रांसफार्मर का 50 लीटर तेल, 03 बंडल कॉपर, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.04.2026 को थाना अरवल क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अरवल पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सतेन्द्र, सुरेन्द्र के विरूद्ध जनपद फर्रूखाबाद, मैनपुरी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 05–05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना अरवल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सत्येन्द्र निवासी ग्राम उनरापुर थाना मेरापुर जनपद फर्रूखाबाद।

2—गजेन्द्र निवासी ग्राम नगला कटीक थाना पटियाली जनपद कासगंज।

3—प्रवेश निवासी ग्राम उनरापुर थाना मेरापुर जनपद फर्रूखाबाद।

4—सुरेन्द्र निवासी ग्राम उनरापुर थाना मेरापुर जनपद फर्रूखाबाद।

5—अनूप निवासी ग्राम उनरापुर थाना मेरापुर जनपद फर्रूखाबाद।

6—मुनेन्द्र निवासी ग्राम अजतूपुर थाना हरपालपुर जनपद हरदोई।

7—रोहित निवासी ग्राम अजतूपुर थाना हरपालपुर जनपद हरदोई।

8—अजय निवासी ग्राम अजतूपुर थाना हरपालपुर जनपद हरदोई।

बरामदगी

1—49 हजार रूपये नगद।

2—चोरी के विद्युत ट्रांसफार्मर का 50 लीटर तेल, 03 बंडल कॉपर।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद बांदा/थाना साइबर क्राइम

- **09 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **88 मोबाइल फोन, 92 मोबाइल मदरबर्ड, 66 मोबाइल बैट्री**
- **11 हजार रूपये नगद**
- **07 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 16.04.2026 को थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बुन्देलखंड एक्सप्रेस—वे ग्राम चहितारा के पास से 09 अभियुक्तों 1—मुस्तकीम 2—अरमान 3—अनमोल 4—असलम 5—साहिल 6—समीम 7—रेहान 8—अमिर 9—मुस्ताक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 88 मोबाइल फोन, 92 मोबाइल मदरबर्ड, 66 मोबाइल बैट्री, 11 हजार रूपये नगद, 07 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो गांव में फेरी लगाकर चोरी, खोए हुए एवं खराब मोबाइल फोन सस्ते दामों में खरीदकर उनके

मदरबोर्ड बदलकर एवं आईएमईआई ब्लॉक/आंशिक रूप से खराब डिवाइस को पुनः सक्रिय कर साइबर अपराधियों को बेच दी जाती है, जिनके द्वारा साइबर अपराध/धोखाधड़ी की घटनाएं कारित की जाती है।

इस सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मुस्तकीम निवासी नवावगंज जनपद फतेहगढ़।

2—अरमान निवासी नवावगंज जनपद फतेहगढ़।

3—अनमोल निवासी नवावगंज जनपद फतेहगढ़।

4—असलम निवासी नवावगंज जनपद फतेहगढ़।

5—साहिल निवासी नवावगंज जनपद फतेहगढ़।

6—समीम निवासी नवावगंज जनपद फतेहगढ़।

7—रेहान निवासी नवावगंज जनपद फतेहगढ़।

8—अमिर निवासी नवावगंज जनपद फतेहगढ़।

9—मुस्ताक निवासी नवावगंज जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी

1—88 मोबाइल फोन, 92 मोबाइल मदरबर्ड, 66 मोबाइल बैट्री।

2—11 हजार रूपये नगद।

3—07 मोटर साइकिल आदि।

जनपद कुशीनगर/थाना कुबेरस्थान

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 05 लाख रूपये कीमत की 59 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 पिकप वाहन बरामद**

दिनांक 17.04.2026 को थाना कुबेरस्थान पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—अभिषेक 2—मनोज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 05 लाख रूपये कीमत की 59 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 पिकप वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कुबेरस्थान पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अभिषेक निवासी तिरमा साहून तुरावपट्टी थाना बघौच घाट जनपद देवरिया।

2—मनोज निवासी सिसवा मोहनपट्टी थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

1—लगभग 05 लाख रूपये कीमत की 59 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2—01 पिकप वाहन।

- **जनपद बाराबंकी/थाना कोठी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना कोठी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सूरजपाल को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद इटावा/थाना ऊसराहार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 09 वर्ष के कारावास की सजा व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना ऊसराहार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 395/397/412/120बी भादवि व 10/12/14 द0प्र0क्षे0 अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त सुनील कुमार को 09 वर्ष के कारावास व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————